20.09.13	यह वाद ग्राम–मसमोहना के खाता नं0–37, प्लौट संख्या–54 / 1225, रकबा–2.85 एकड़, प्लौट संख्या–395 / 1231, रकबा–0.53 एकड़, प्लौट संख्या–11 / 1201, रकबा–0.20 एकड़, प्लौट संख्या–71 / 1224, रकबा–1.88 एकड़, प्लौट संख्या–214 / 1323, रकबा–0.20 एकड़ कुल रकबा–5.66 एकड़ भूमि की जमाबंदी मंगना बेदिया वगैरह से संबंधित है। खतियान में जमीन गैरमजरूआ खास किस्म जंगल दर्ज है। वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ के पत्रांक 284 दिनांक 17.02.2006 से प्रतिवेदनानुसार प्रश्नगत भूमि वन विभाग की अधिसूचित भूमि है। वन भूमि के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 12.12.1996 को रिट याचिका सिविल नं0–202 / 1995 एवं 171 / 1996 टी0एन0 गदावर्मन थीरूमुल्क पद बनाम भारत सरकार (1997) एस0सी0 / 78 (ए0आई0आर0 1997 एस0सी0 1228) में दिये गये निर्णय महत्वपूर्ण है। इस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट रूप से निर्णित है कि "..... the term" forest land "occurring in Section 2 will not only include 'forest' as understood in the dictionary sense, but also any area recorded as forest in the Government record irrespective of ownership ....." स्पष्टतः सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निदेशित है कि वन भूमि का उपयोग बिना वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के आदेश के दूसरे कार्यों में नहीं हो सकता है। प्रतिवादी को अपने दावे के समर्थन में कागजात प्रस्तुत करते हेतु नोटिस निर्गत किया गया था। प्रतिवादी ने सादा हुकुमनामा की छायाप्रति और कुछ रसीदें प्रस्तुत किया। राजस्व पदाधिकारी अंचल अधिकारी, पतरातू, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़, अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ और अपर समाहर्त्ता, रामगढ़ के द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी अवैध रूप से कायम है और जमाबंदी स्थापित होने का कोई आधार नहीं दिया गया। उन्होंने इस जमाबन्दी को संदेहात्मक जमाबंदी माना है और जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा की है। वर्तमान वाद में उपलब्ध सभी कागजी दस्तावेजों और राजस्व पदाधिकारियों के आदेशफलक देखने के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रतिवादी ने जाली हुकुमनामा और चंद सरकारी रसीदों के आधार पर अपनी जमाबंदी को सत्य बनाने का प्रयास किया है, परन्तु हुकुमनामा का कोई अनुपूरक साक्ष्य, जैसे जमींदारी रिटर्न आदि नहीं दिखाया गया और न लगान निर्धारण का कोई प्रमाण पत्र दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रश्नगत भूमि वन भूमि है। जिसका स्वामित्व वन विभाग के अधीन है। वन भूमि को हड़पने के उद्देश्य से उत्तरवादी ने इसकी जमाबंदी कायम करा ली है और फर्जी हुकुमनामा और चंद रसीदों के आधार पर ये दावा कर रहे हैं। निबन्धन अधिनियम, 1908 की धारा 17 (1)(b) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि 100 / – रूपये से अधिक के मूल्य की भूमि का हस्तानान्तरण निबंधित दस्तावेज के माध्यम से होना है। वर्तमान मामले 5.66 एकड़ भूमि से संबंधित है, जिसका कोई निबंधित दस्तावेज नहीं है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि यह हुकुमनामा फर्जी है और जमीन हड़पने के उद्देश्य से बाद में बनाया गया है। जमाबंदी रद्द करने के संबंध में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा 10.02.2009 को L.P.A. वाद संख्या–425 / 2006 जगदेव महतो बनाम् आयुक्त, उत्तरी	

छोटानागपुर प्रमण्डल में यह नियमन दिया गया है कि अगर जमाबंदी बिल्कुल अवैध हो या किसी अभिलेख पर आधारित नहीं हो तो वैसी जमाबंदी रद्द की जा सकती है। न्यायालय का आंशिक निर्णय नीचे अंकित है :

"According to us if an order is found to have been passed by an authority having no jurisdiction or when such order is found to be absolutely illegal based on the apparent error on law or facts or when it is found to be perverse not based on record then certainly in such cases jamabandi running or standing in the name of a particular person can be cancelled by a competent authority but of course after giving proper notice and opportunity of haearing to the party who would be adversely affected."

सभी राजस्व अधिकारियों के मंतव्य और प्राप्त अनुशंसा एवं वर्तमान वाद में उपलब्ध कागजातों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि यह जमाबंदी भी संदेहास्पद है और इसे रद्द करने की अनुशंसा की जाती है। अभिलेख आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग के माध्यम से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त,
रामगढ़।

उपायुक्त,
रामगढ़।